प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 20.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 20.01.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 20.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

महाकुम्भ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 20.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुरेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय मान0 न्याया0 जे0एम प्रथम महोबा के द्वारा जारी 15786/23 व अपराध संख्या 18/23 धारा 323/504/325 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त कल्लू उर्फ बृन्दावन पुत्र रघुवर रैकवार उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के ग्राम ननौरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया है, अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 यूटी0 संदीप विमल
2. उ0नि0 सुरेश यादव

गिरफ्तार अभियुक्त -

कल्लू उर्फ बृन्दावन पुत्र रघुवर रैकवार उम्र 35 वर्ष नि0 ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

महोबा पुलिस

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

महाकुम्भ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 19.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 विवेक कुमार यादव, चौकी प्रभारी मनियादेव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के पक्षी बिहार मोड के पास बहद मुहल्ला सुभाष नगर के पास सार्वजनिक स्थान पर रुपयों की ताश के पत्तो से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.पुनित शुक्ला पुत्र कृष्णगोपाल शुक्ला उम्र 42 वर्ष निवासी मु0 हवेली दरवाजा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, 2.जितेन्द्र उर्फ उमाशंकर राजपूत पुत्र कृष्णगोपाल राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, 3.सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम डढ़तमाफ थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा, 4.गोली पुत्र दीपक राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी पूंछ वाली गली आल्हा चौक थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मालफड़ 5040/- ₹, जामातलाशी से प्राप्त 900/- ₹ व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.सं. 38/2025 धारा 13 जुआँ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. पुनित शुक्ला पुत्र कृष्णगोपाल शुक्ला उम्र 42 वर्ष निवासी मु0 हवेली दरवाजा
2. जितेन्द्र उर्फ उमाशंकर राजपूत पुत्र कृष्णगोपाल राजपूत उम्र 39 वर्ष नि. ग्राम कालीपहाड़ी
3. सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र परमलाल कुशवाहा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम डढ़तमाफ
4. गोली पुत्र दीपक राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी पूंछ वाली गली आल्हा चौक

बरामद माल- मालफड़ 5040/- ₹, जामातलाशी से प्राप्त 900/- ₹ व 52 अदद ताश के पत्ते

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विवेक कुमार यादव, चौकी प्रभारी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 अवनेश कुमार 3. कां0 राजेश सिंह 4. का0 जयप्रकाश

थाना खरेला की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

महाकुम्भ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 20.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना खरेला प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 रामअभिलाष यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में मु0नं0 194/18 मु0सं0 270/14 धारा 147/148/149/323/504/506 आईपीसी के मुकदमें से सम्बन्धित 03 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.राजेन्द्र लोधी पुत्र नंदराम लोधी उम्र 50 वर्ष 2.कुँवरलाल पुत्र जगन्नाथ उम्र 54 वर्ष 3.भैयालाल पुत्र जगन्नाथ उम्र 50 वर्ष निवासीगण ग्राम दमदमा(जरौली) थाना खरेला जनपद महोबा को थाना क्षेत्र के ग्राम दमदमा (जरौली) से गिरफ्तार किया है। अभियुक्तगण उपरोक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1. राजेन्द्र लोधी पुत्र नंदराम लोधी उम्र 50 वर्ष
2. कुँवरलाल पुत्र जगन्नाथ उम्र 54 वर्ष
3. भैयालाल पुत्र जगन्नाथ उम्र 50 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम दमदमा(जरौली) थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 रामअभिलाष यादव
2. हो0गा0 ओमप्रकाश

महोबा पुलिस

लूट की घटना का सफल अनावरण, जनपदीय एसओजी एवं थाना खन्ना की संयुक्त पुलिस टीम ने लूट करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गयी सम्पत्ति एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को बरामद किया है। घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पीडित ने जनपदीय पुलिस के प्रति आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में लूट/चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 11.01.2025 को ग्राम अटघार एवं ग्राम तिन्दुही के मध्य हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना खन्ना में मु.अ.सं. 08/2025 धारा 309(6) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया, इस लूट की घटना के सफल अनावरण एवं सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु जनपदीय एसओजी एवं थाना खन्ना की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में सीसीटीवी कैमरा व अन्य साक्ष्यों के आधार पर लूट की घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की पहचान की जा रही थी, इसी दौरान आज दिनांक-20.01.2025 को लूट की घटना अंजाम देने वाले 03 नफर अभियुक्तों को मुखबिर खास कि सूचना पर चेकिंग के दौरान बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से क्रमशः 1.शिवा सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह उम्र 23 वर्ष के पास से घटना मे प्रयुक्त एक अदद मो.सा. पल्सर उपरोक्त व तीन हजार रुपये बरामद हुए 2.मनोज कुमार पुत्र लल्लूराम गुप्ता उम्र 24 वर्ष से 2000 रुपये एवं 01 अदद लूट हुआ मोबाइल एन्ड्रायड सेमसंग गैलेक्सी बरामद हुआ 3.विक्रम सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष से 2000 रुपये बरामद हुए। लूट की घटना में प्रयुक्त मो.सा. पल्सर नम्बर UP91U9762 का अन्तर्गत धारा 207 MV ACT मे सीज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है

उक्त लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने व लूट की शतप्रतिशत बरामदगी होने पर पीडित ने जनपदीय पुलिस के प्रति आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया है।

बरामदगी का विवरणः-

- एक अदद लूट का मोबाइल सेमसंग गेलेक्सी
- 07 हजार रुपये
- लूट की घटना मे प्रयुक्त एक अदद पल्सर मो.सा. नम्बर UP91U9762

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवा सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह उम्र 23 वर्ष 2.मनोज कुमार पुत्र लल्लूराम गुप्ता उम्र 24 वर्ष
3. विक्रम सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र 24 वर्ष। समस्त निवासीगण ग्राम चिचारा थाना खन्ना महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम -

थाना खन्ना पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 थाना खन्ना श्री विनोद कुमार
2. उ.नि. लक्ष्मीनारायण सिंह 3. उ.नि. अनुरुद्ध प्रताप सिंह 4. उ.नि. नन्द कुमार मिश्रा
5. हे.कां. प्रकाश वीर सिंह 6. हे.कां. बृजेन्द्र भदौरिया थाना खन्ना जनपद महोबा

जनपदीय एसओजी टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह, प्रभारी स्वॉट टीम 2. उ0नि0 रवि कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस टीम 3.कां0 रंजीत सिंह 4. कां0 निर्भय सिंह 5.कां0 आशीष बघेल 6. कां. दीपक वर्मा 7. कां. कुलदीप

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 20.01.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

हत्या की घटना का सफल अनावरण, अपने ही बड़े भाई की हत्या करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

दिनांक- 18.01.2025 को थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम को जिला अस्पताल, महोबा से परमलाल पुत्र दुर्जन लाल अहिरवार उम्र 40 वर्ष की मृत्यु के सम्बन्ध में मेमो प्राप्त हुआ था, प्राप्त मेमो के आधार पर पुलिस टीम द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी थी, नियमानुसार प्रक्रिया के क्रम में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण जहर से होना पाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुलपहाड़ मु.अ.सं. 24/25 धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया।

उक्त घटित घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा घटना का सफल अनावरण किए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

गठित पुलिस टीम द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विभिन्न साक्ष्यों का संकलन एवं गवाहों/बयानों के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त खेमचन्द्र पुत्र दुर्जन लाल अहिरवार उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित कर जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके बडे भाई की पत्नी से अवैध सम्बन्ध थे, अवैध सम्बन्धों के चलते रंजिश के कारण उक्त हत्या की घटना को कारित किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

खेमचन्द्र पुत्र दुर्जन लाल अहिरवार उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम इंदौरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 थाना कुलपहाड़ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 दिनेश तिवारी
3. कां0 मनोज 4. कां0 दिनेश सिंह सेंगर

महोबा पुलिस

जय हिंद मैम परमलाल पुत्र दुर्जन लाल अहिरवार उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम इंदौरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को दिनांक 18 1 2025 को मृतक का छोटा भाई खेमचंद ने शराब में जहर देकर पिला दिया जिससे मृतक परमलाल की दिनांक 18 1 25 को मृत्यु हो गई मृतक के पर्जन द्वारा तहरीर दी गई है जिस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा
दिनांक 18 को रात्रि में जिला अस्पताल से कोतवाली द्वारा मेमो प्राप्त हुआ था जिस पर 19 को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी
तहरीर मनीषा पुत्री स्वर्गीय परमलाल की तरफ से प्राप्त है निवासी ग्रामीण इंदौरा थाना कुलपहाड़ महोबा

Naamjad abhiyukt ko hirasat mein lekar mananiya nyayalaya ke samaksh pesh kar jail bheja ja raha hai.
Poochhtaachh mein abhiyukt ka mritak se avaid sambandhon ko lekar ranjish prakaash mein aayi hai. Aage ki vidhik karyavahi prachlit hai

Kulpahad.
Murder.
Sage bhai ne apne bade bhai ko zehar dekar hatya karne ka aarop.
PM va antim sanskaar done.
FIR panjikrit ki ja rahi hai.

Reason: Abhiyukt ka mritak ki patni ke saath avaid sambandh.

Abhiyukt ki hirasat mein lekar liya gaya hai.